फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री छगनलाल **विपक्षी : श्री जगन्नाथ**

किस्म मुकदमा –188 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 93/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 29.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित कुमार वसीटा द्वारा जवाब दावा, दस्तावेज मय वकालत नामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण का कथन है कि वह अपने नाम दर्ज भूमि पर ही निर्माण कार्य कर रहे हैं, वादी के नाम दर्ज भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं कर रहे हैं, वाद स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण दोनों ही वाद को डिक्री किया जाने पर सहमत होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 523 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री कपिल कुमार कोठारी, R.A.S.
मुकदमा नम्बर : 93/22 (वाद) GCMS No. : 2022/239

उनवान

1. श्री छगनलाल पिता शंकरलाल मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।

..................वादी

बनाम

1. श्री जगन्नाथ पिता लोगर मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
2. श्रीमती सोवनीबाई पत्नी जगन्नाथ मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
3. श्री गणेश पिता जगन्नाथ मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
4. श्री इन्द्रलाल पिता जगन्नाथ मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
5. श्री भूपेन्द्र पिता जगन्नाथ मेघवाल निवासी मेडता तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु कपिल कुमार कोठारी, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा मेडता पटवार हल्का मेडता की आराजी नम्बर 523 रकबा 0.0405 हेक्टेयर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा पैदा नहीं करें, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.07.2022 को जारी की गई।

(कपिल कुमार कोठारी)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar Kothari
Date: 2022.08.10 14:13:24 IST
Reason: SelfAttested